न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—257 / 2016
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88,53 आरटीए

1 औम प्रकाश
2 दलीप कुमार
3 कृष्ण कुमार
} पि.आत्माराम जाति बैरागी निवासीगण नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गीतादेवी पत्नी आत्माराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री
4. विमला
5. सीमा
} पुत्रियां आत्माराम जाति बैरागी निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. गजानन्द
7. दयाराम
8. जगदीशचन्द्र
9. सूरजभान
10. रविशंकर
} पि. हरलाल जाति बैरागी निवासी नगराना हाल संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित :—</u>

1. श्री प्रमोद डेलू अधिवक्ताः—वादीगण
2. श्री लखन करवा अधिवक्ताः—प्रतिवादी संख्या 1 ता 10

निर्णय दिंनाकः—'17.6.2019

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के परिवार की पैतृक कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 1 एमएमके में खाता संख्या 4 / 4 जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में कुल 8.3510 है. मय गै.मु. कृषि भूमि तथा इसी चक 11 एसबीएन के खाता संख्या 4 / 4 जमाबन्दी सम्वत 2069—72 में कुल 4.9840 है. मय गै.मु. कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 17 / 17 में कुल 4. 5540 है. मय गै.मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों की खातों की चालू जमाबन्दी वाद—पत्र के साथ संलग्न है। चकों की भूमि अग्रलिखितानुसार हैः—

चक 1 एमकेएम जमाबन्दी सम्वत 2071—74 खाता संख्या 4 / 4 प.नं. 170 / 194 मु.नं. 11 किला नं. 16,17,22 ता 25 / 0.253 है. प्रे. प.नं. 171 / 194 मु.नं. 12 किला नं. 21,22 / 0.253 है. प्रे. पं.नं. 171 / 195 मु.न. 22 किला नं. 1 ता 4 / 0.228 है.प्र. 6 ता 14 / 0.253 है.प्रे. पं.नं. 170 / 195 मु.नं. 23 किला नं. 2,3,4 / 0.228 है. प्रे. 5 / 0.202 है. 6 / 0.228 है. 7,8,9,12,13,14 / 0.253 है.प्र. 15 / 0.228 है. कुल 8.351 है. मय गै.मु. चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069—72 खाता संख्या 4 / 4 पं.नं. 181 / 208 मु.नं. 43 किला नं. 14 / 0.253 है. 16 / 0.215है. 17,18,21,22,23,24 / 0.253 है. प्रे. 25 / 0.215 है. पं.नं. 181 / 209 मु.नं. 54 किला नं. 1 ता 4 / 0.253 है. 8,9,10,12,13,17,24 / 0.253 है.प्र. कुल 4.984 है. मय गै.मु. चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 खाता संख्या 17 / 17 पं.नं. 180 / 209 मु.नं. 53 किला नं. 4 ता

8/0.253 है. प्र. 13 ता 17, 25/0.253 है.प्रे. पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 54 किला नं. 11, 18 ता 23/0.253 है.प्रत्येक कुल 4.554 है.।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त पैतृक कृषि भूमि में बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक व हिस्सा चक नं. 10 एसबीएन व चक नं. 4 एनजीआर में प्राप्त कर लिया है तथा उक्त पैतृक हक व हिस्सा का मौखिक रूप से परित्याग वादीगण को कर दिया है चूंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी अच्छे परिवार में कर दी थी तथा उसे शादी के समय ही उसके हिस्सा नुसार उपहार स्वरूप काफी दिया गया है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 अपने–अपने परिवार में खुश व सूखी रह रही है तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा लेना तथा रखना नहीं चाहती है। उक्त परिस्थिति में प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ उक्त अपने नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि का अच्छी–मन्दी भूमि के आधार पर जोत काश्त एवं जोत एकीकरण तथा रास्ता खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर घरू विभाजन किया हुआ है।

- वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः–चक नं.1 एम.एम.के. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 170/194 मु.नं.11 किला नं.16,17,22 ता 25/0.253 है. प्र., पं.नं.171/194 मु.नं. 12 किला नं. 21,22/0.253 है. प्र., पं.न. 171/195 मु.न. 22 किला नं. 1 ता 4/0.228 है. प्र., 6 ता 14/0.253 है. प्र., पं.नं. 170/195 मु.नं. 23 किला नं. 2,3,4/0.228 है. प्र., 5/0.202 है. 6/0.228 है. 7,8,9,12,13,14/0.253 है. प्र. 15/0. 228 है. कुल 8.351 है. मय गै.मु., चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 181/208 मु.नं. 43 किला नं. 14/0.253 है. 16/0.215 है. 17,18,21 ता 24/0.253 है. प्र., 25/0.215 है., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 1 ता 4/0.253 है.प्र. 9,10/0.253 है.प्र. कुल 3.719 है. मय गै.मु. है. व चक नं. 11 एसबीएन के खाता संख्या 17/17 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प.नं. 180/209 मु.नं. 53 कि.नं. 4 ता 8 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.265 है. आराजी।
- प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः– चक चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 17/17 पं.नं. 180/209 मु.नं. 53 किला नं. 13 ता 17, 25/0.253 है.प्र., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 11,18 ता 23/0.253 है.प्र. कुल 3.289 है.,मय गैर मुमकिन कृषि भूमि व चक नं. 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 4/4 प.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 8,12,13,17,24/0.253 है. प्रत्येक कुल 1.265 है. मय गै.मु.कृषि भूमि।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 को घरू विभाजन में प्राप्त हुई कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के आधिपत्य एवं धारण में है जिसे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 बिना किसी विघ्न बाधा के निरन्तर काश्त करते आ रहे है। वादीगण उपरोक्त बंटवारानुसार कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार कहलवाने व घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की ओर से कैम्प कोर्ट नगराना में जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर वाद को राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की गई। स्टेट जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 3 कृष्ण कुमार पुत्र आत्माराम की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम पुत्र रामचन्द्र राजीनामा पेश करने के उपरान्त दिनांक 24.9.2018 को फौत हो चुका है जिसके जयाज वारिसान तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत नगराना से दिनांक 12.11.2018 को जारी किया गया है मुताबिक वारिसनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 पूर्व में ही वाद में पक्षकार है जिनके द्वारा भी राजीनामा में कैम्प कोर्ट नगराना में उपस्थित दी हुई है एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र आत्माराम व वारिसनामा आत्माराम की प्रमाणित फोटो प्रति, पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 1 एमएमके खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक नं. 11 एसबीएन खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक नं. 11 एसबीएन खाता संख्या 17/17 खाता गजानन्द वगैरा की जमाबन्दी प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि राजीनामा में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 1 एमएमके खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक 11 एसबीएन खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक 11 एसबीएन खाता संख्या 17/17 खाता गजानन्द वगैरा की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा चक नं. 1 एमएमके खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक नं. 11 एसबीएन खाता संख्या 4/4 खाता आत्माराम, चक नं. 11 एसबीएन खाता संख्या 17/17 खाता गजानन्द वगैरा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया हुआ है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है किः—

- वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः— चक नं.1 एम.एम.के. जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 170/194 मु.नं. 11 किला नं. 16,17,22 ता 25/0.253 है. प्र., पं.नं. 171/194 मु.नं. 12 किला नं. 21,22/0.253 है. प्र., पं.न. 171/195 मु.न. 22 किला नं. 1 ता 4/0.228 है. प्र., 6 ता 14/0.253 है. प्र., पं.नं. 170/195 मु.नं. 23 किला नं. 2,3,4/0.228 है. प्र., 5/0.202 है. 6/0.228 है. 7,8,9,12,13,14/0.253 है. प्र. 15/0.228 है. कुल 8.351 है. मय गै.मु., चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069—72 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 181/208 मु.नं. 43 किला नं. 14/0.253 है. 16/0.215 है. 17,18,21 ता 24/0.253 है. प्र., 25/0.215 है., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 1 ता 4/0.253 है.प्र. 9,10/0.253 है.प्र. कुल 3.719 है. मय गै.मु. है. व चक नं. 11 एसबीएन के खाता संख्या 17/17 जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 प.नं. 180/209 मु.नं. 53 कि.नं. 4 ता 8 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.265 है. आराजी।
- प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः— चक चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069—72 खाता संख्या 17/17 पं.नं. 180/209 मु.नं. 53 किला नं. 13 ता 17, 25/0.253 है.प्र., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 11,18 ता 23/0.253 है.प्र. कुल 3.289 है.,मय गैर मुमकिन कृषि भूमि व चक नं. 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069—72 खाता संख्या 4/4 प.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 8,12,13,17,24/0.253 है. प्रत्येक कुल 1.265 है. मय गै.मु.कृषि भूमि।

  उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाता में से मृतक आत्माराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तुानसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–257/2016

1. औम प्रकाश
2. दलीप कुमार
3. कृष्ण कुमार

} पि.आत्माराम जाति बैरागी निवासीगण नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गीतादेवी पत्नी आत्माराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री
4. विमला
5. सीमा

} पुत्रियां आत्माराम जाति बैरागी निवासीगण नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. गजानन्द
7. दयाराम
8. जगदीशचन्द्र
9. सूरजभान
10. रविशंकर

} पि. हरलाल जाति बैरागी निवासी नगराना हाल संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

11. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री लखन करवा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किः–

- वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः– चक नं.1 एम.एम.के. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 170/194 मु.नं. 11 किला नं. 16,17,22 ता 25/0.253 है. प्र., पं.नं. 171/194 मु.नं. 12 किला नं. 21,22/0.253 है. प्र., पं.न. 171/195 मु.न. 22 किला नं. 1 ता 4/0.228 है. प्र., 6 ता 14/0.253 है. प्र., पं.नं. 170/195 मु.नं. 23 किला नं. 2,3,4/0.228 है. प्र., 5/0.202 है. 6/0.228 है. 7,8,9,12,13,14/0.253 है. प्र. 15/0.228 है. कुल 8.351 है. मय गै.मु., चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 4/4 पं.नं. 181/208 मु.नं. 43 किला नं. 14/0.253 है. 16/0.215 है. 17,18,21 ता 24/0.253 है. प्र., 25/0.215 है., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 1 ता 4/0.253 है.प्र. 9,10/0.253 है.प्र. कुल 3.719 है. मय गै.मु. है. व चक नं. 11 एसबीएन के खाता संख्या 17/17 जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प.नं. 180/209 मु.नं. 53 कि.नं. 4 ता 8 प्रत्येक 0.253 है. कुल 1.265 है. आराजी।
- प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमिः– चक चक 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 17/17 पं.नं. 180/209 मु.नं. 53 किला नं. 13 ता 17, 25/0.253 है.प्र., पं.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 11,18 ता 23/0.253 है.प्र.

कुल 3.289 है.,मय गैर मुमकिन कृषि भूमि व चक नं. 11 एसबीएन जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 4/4 प.नं. 181/209 मु.नं. 54 किला नं. 8,12,13,17,24/0.253 है. प्रत्येक कुल 1.265 है. मय गै.मु.कृषि भूमि।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्तानुसार खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खाता में से मृतक आत्माराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तुनसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।यदि उक्त आराजी पर बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज्.....निल्.....मुब्लिक्....निल्.....बाबत्.....निल्.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक्.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया